

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़

ब इजलास श्री के. आर. चौहान सहायक कलक्टर (S.D.O.) देवगढ़
 श्री बाबूलाल पिता रुपा बनाम (1) श्री मोहनलाल पिता नाथूलाल हुम्हार कि. मिथालाखेडा
 जो हुम्हार कि. मिथालाखेडा दावा अन्तर्गत धारा 53-188 R.T.A.
 मुकदमा नं. 20/2014 दे. ग. सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू


मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाज इस प्रकार ~~जुदायलह~~ उरी रिगलाना
 है कि वादी एवं जतिवादी स. 1814 के मध्य इस प्रकार
 वखाडा करके के आउम उरी जाते है:-

नीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर फीसदी सालना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 9 मास 01 सन् 2019
 की जारी की गई।


 सहायक कलक्टर
 सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द

मुद्दै	रूपया	पै०	मुदायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा	2 = 00		स्टाम्प वकालतनामा	}	
स्टाम्प वकालतनामा	4 = 00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	}		महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक	16 = 00				
मीजान	22 = 00		मीजान	-	-

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

